खण्ड – II

अ – महत्वपूर्ण तिथियां

क्रं.	जानकारी	विवरण
1	संक्षिप्त विवरण	वनमंडल दक्षिण सागर मे क्षेत्र तैयारी कार्यों के लिये सामग्री क्रय करने हेतु दरों की निविदा
2	ई–निविदा आमंत्रण सूचना संख्या	
3	निविदा शुल्क/निविदा दस्तावेज की लागत	500/– + प्रोसेसिंग शुल्क (पोर्टल द्वारा स्वचलित रूप मे निर्धारित)
4	सत्यांकर निधि	₹ 45,000/-
5	निविदा प्रस्ताव की वैधता	वित्तीय वर्ष 2025–26 जिसमें वनमंडल अधिकारी दक्षिण सागर द्वारा निविदा आमंत्रित की गई है।
6	निष्पादन सुरक्षा	सामग्री वार पृथक–पृथक (खण्ड V में दर्शित अनुसार)
7	अनुमानित निविदा मूल्य	₹ 15,00,000/-
8	निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	14.09.2025 दोपहर 02 बजे
9	प्राप्त तकनीकि प्रस्तावों को खोलने का समय एवं तिथि	15.09.2025 दोपहर 03 बजे
10	निविदा पूर्व बैठक की तिथि और समय	04.09.2025 दोपहर 12 बजे
11	जमा करने का प्रकार	ऑनलाईन जमा https://mptenders.gov.in/

वनमंडल अधिकारी,
दक्षिण सागर वनमंडल

खण्ड – III

ब – निविदा दस्तावेज

(1) निविदाकारों को अपनी निविदा के साथ निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड करने होगें

1. जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र
2. पैन कार्ड
3. विगत तीन वित्तीय वर्ष (2022–23, 2023–24 एवं 2024–25) के आयकर रिटर्न ।
4. 100 रूपये के स्टाम्प पेपर पर पूरा अनुलग्नक –1
5. अनुलग्नक –02
6. अनुलग्नक –03
7. अनुलग्नक –04 पूर्व योग्यता मापदण्ड प्रमाण पत्र
8. अनुलग्नक – 06 (संयुक्त उद्यम)– यदि लागू हो
9. सी0ए0 द्वारा प्रमाणित टर्नओवर प्रमाणपत्र
10. दुकान / प्रतिष्ठान का वैद्य पंजीकरण प्रमाण पत्र की छायाप्रति
11. सत्यंकार की राशि रूपये 45,000 / –(पेंतालीस हजार रूपये मात्र) जमा की रसीद ।
12. संस्था द्वारा पिछले तीन वर्षों में मान्यता प्राप्त संस्था हेतु उपयोग निविदा में दर्शित सामग्री प्रदाय किया हो, संबंधित संस्था का कार्य आदेश / प्रमाण पत्र की छायाप्रति प्रमाण स्वरूप अपलोड करें ।
13. निर्धारित प्रपत्र A1
14. सेम्पल जमा करने की पावती अभिस्वीकृति ।
15. अनुलग्नक 03 अनुसार स्थल भ्रमण की जियोटैग्ड फोटोग्राफ्स ।

निविदाकार से निविदा दस्तावेज के सभी निर्देश एवं शर्तों को सावधानीपूर्वक जांच करने की अपेक्षा की जाती है, ऐसा न करने पर निविदाकार पूरी तरह से जिम्मेदार होगा ।

वनमंडल अधिकारी,
दक्षिण सागर वनमंडल

खण्ड – IV

वर्ष 2025–26 के लिए सामग्री प्रदाय करने हेतु निविदा की शर्तें दक्षिण सागर वनमंडल

1. आनलाईन निविदा डालने हेतु सत्यंकार की राशि रू. 45,000/– (पैंतालीस हजार रू) आनलाईन जमा करनी होगा । सत्यंकार राशि के अभाव में निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी ।
2. निविदाकार का विगत तीन वित्तीय वर्ष (2022–23, 2023–24 एवं 2024–25) में न्यूनतम राशि रू. 45 लाख प्रतिवर्ष का टर्नओव्हर होना अनिवार्य है । फर्म के टर्न ओव्हर की चार्टड एकाऊन्टेट से प्रमाणित छायाप्रति अपलोड करना अनिवार्य है । इन वर्षों के अंकेक्षित लेखे/बैलेन्स शीट भी अपलोड करना अनिवार्य है ।
3. निविदाकार को निविदा के साथ अपलोड किये गये समस्त दस्तावेजों की पठनीय स्केन प्रति, जिस पर फर्म की सील सहित हस्ताक्षर हों, अपलोड करना अनिवार्य है । दस्तावेज अपठनीय होने पर निविदाकार को निविदा से बाहर किया जा सकता है ।
4. निविदा की स्वीकृत दरों की वैधता वित्तीय वर्ष 2025–26 रहेगी जो सफल निविदाकार और वन मंडल अधिकारी दक्षिण सागर वनमंडल के बीच आपसी सहमति के अधीन 90 दिनों तक बढाई जा सकती है ।
5. सफल निविदाकार को खण्ड V में उल्लेखित तालिका अनुसार पृथक–पृथक **निष्पादन प्रतिभूति (Performance Guarantee)** की राशि की एफ.डी.आर. जो किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी की गयी हो एवं वनमंडल अधिकारी दक्षिण सागर वनमंडल के नाम से हो, जमा करना अनिवार्य होगा ।
6. सफल निविदाकार द्वारा अनुबंध करने के पश्चात् निर्धारित समयावधि में सामग्री प्रदाय न करने अथवा प्रदाय सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक (जो कि वन मंडल अधिकारी या उसके प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जॉची जावेगी) न होने की स्थिति में वनमंडल अधिकारी, दक्षिण सागर वनमंडल द्वारा सफल निविदाकार की निविदा किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त की जा सकती है एवं **निष्पादन प्रतिभूति (Performance Guarantee)** की राशि जप्त की जावेगी तथा फर्म को दो वर्ष के लिये कालीसूची में दर्ज किया जावेगा, इसमें जो भी आर्थिक हानि होगी उसकी वसूली स्वीकृत निविदाकार से की जावेगी । ऐसी परिस्थिति में भुगतान से कटौती का अधिकार वनमंडल अधिकारी दक्षिण सागर वनमंडल के विवेकाधिकार पर सुरक्षित रहेगा ।
7. निविदा में दर्शित निर्धारित गुणवत्ता एवं मानक सामग्री प्राप्त न होने पर अस्वीकृत सामग्री को प्रदायकर्ता को अपने व्यय से तत्काल मौके से हटाना होगी ।
8. **प्रत्येक सामग्री/Item के लिये सफल निविदाकार का चयन न्यूनतम दर L1 के आधार पर किया जावेगा । सामग्री की मांग अनुसार सामग्री के प्रदाय आदेश L1 को जारी किये जावेगें । यदि L1 फर्म के द्वारा निर्धारित समयावधि में संबंधित स्थलों पर सामग्री प्रदाय नहीं की जाती है तो तकनीकी निविदा में सम्मिलित अन्य सफल निविदाकार से भी L1 की दरों पर सामग्री क्रय की जा सकेगी ।**
9. वनमंडल दक्षिण सागर की क्षेत्रीय सीमा के अंदर वन परिक्षेत्र सागर, ढाना, राहतगढ़, गढ़ाकोटा, केसली, गौरझामर, देवरी एवं काष्ठागार सिरोंजा के वनक्षेत्रों में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिये गये आदेश अनुसार आदेशित स्थल पर सामग्री प्रदाय की जानी होगी इसके लिए अनुलग्नक 3 हस्ताक्षरित कर अपलोड करना अनिवार्य है ।

10. प्रदाय की जाने वाली मात्रा अनुमानित है, इसमें घट–बढ़ हो सकती है, जिसके लिये निविदाकार द्वारा कोई आपत्ति नहीं ली जावेगी । भुगतान सामग्री की वास्तविक प्राप्त मात्रा के आधार पर किया जावेगा ।
11. भुगतान राशि से नियमानुसार समस्त देय करों की कटौती की जावेगी ।
12. सामग्री का प्रदाय, आदेश जारी होने की तिथि से 07 दिवस के अंदर आदेशित स्थल तक परिवहन करना होगा ।
13. प्रदाय स्थल पर सामग्री को ऐसा रखा जावे, जिससे मापन मे सुविधा हो ।
14. यदि सामग्री की आपूर्ति आदेश प्राप्ति के एक सप्ताह से अधिक विलम्ब होने पर निविदाकार का अनुबंध समाप्त किया जा सकता है जिसके बाद निविदाकार की **निष्पादन प्रतिभूति (Performance Guarantee)** की राशि जब्त कर ली जावेगी एवं शर्त क्रमांक 08 अनुसार अन्य निविदाकारों से L1 की दरों पर सामग्री क्रय कर ली जावेगी ।
15. निविदा पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकृत/अस्वीकृत करने तथा किसी भी स्तर पर सकारण निरस्त करने का पूर्ण अधिकार वनमंडल अधिकारी, दक्षिण सागर वनमंडल के पास सुरक्षित होगा ।
16. निविदा दर स्वीकृत होने पर 500/– रू. के स्टाम्प पेपर पर अनुबंध किया जाना होगा ।
17. जो निविदा मान्य नहीं होगी, उनकी सत्यंकार की राशि शीघ्रातिशीघ्र लौटा दी जावेगी ।
18. स्वीकृत/अस्वीकृत निविदा के साथ जमा की गयी सत्यंकार की राशि पर किसी भी प्रकार का व्याज देय नहीं होगा ।
19. सामग्री की गुणवत्ता हेतु मापदण्ड आई.एस.आई. मार्का/म.प्र. लघु उद्योग निगम द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप होनी चाहिये।
20. सफल निविदाकार को सामग्री प्रदाय के समय NABL मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से सामग्री की परीक्षण रिपोर्ट साथ में प्रस्तुत करनी होगी । परीक्षण रिपोर्ट के अभाव में सामग्री का भुगतान किया जाना संभव नहीं होगा ।
21. वनमंडल अधिकारी एवं उनके अधिकृत अधिकारी अपने स्तर से भी सामग्री का परीक्षण करा सकते हैं, परीक्षण शुल्क की राशि संबंधित निविदाकार से वसूल की जावेगी ।
22. वनमंडल अधिकारी दक्षिण सागर को निविदायें बिना कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा ।
23. निविदा प्रक्रिया के संबंध में किसी भी प्रकार की व्याख्या (Interpretation) का प्रश्न उपस्थित होने पर वनमंडल अधिकारी, दक्षिण सागर वनमंडल का निर्णय अंतिम होगा ।
24. निविदा विषयक विवाद में अंतिम निर्णय वनमंडल अधिकारी, दक्षिण सागर वनमंडल का होगा ।
25. किसी भी तरह के विवाद के लिये न्यायालय क्षेत्र सागर न्यायालय के अंतर्गत ही रहेगा ।
26. निविदा की स्वीकृत दरें वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिये मान्य होगी, अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा यदि आवश्यक समझा जावेगा तो निविदा की अवधि बढ़ायी जा सकेगी ।
27. वन मंडल अधिकारी दक्षिण सागर वनमंडल (निविदाकर्ता) किसी भी समय और बिना कोई कारण बतायें प्रस्ताव के लिए अनुरोध के लिए **(आरएफपी)** प्रकिया को समाप्त कर सकता है, निविदाकर्ता कोई भी स्पष्ट या निहित प्रतिबंधता नही करता है कि इस प्रकिया के परिणाम स्वरूप किसी के साथ कोई व्यापारिक लेनदेन होगा। यह प्रस्ताव के लिये अनुरोध (आर0एफ0पी0) निविदाकर्ता द्वारा कोई प्रस्ताव नही है, इस प्रकिया मे निविदाकर्ता, निविदाकार की भागीदारी के परिणामस्वरुप,निविदाकार से और जानकारी या स्पष्टीकरण मांग सकता है हालॉकि, निविदाकर्ता किसी भी समय बिना कोई कारण बताए इस प्रक्रिया को समाप्त कर सकता है ।
28. निविदाकार से निविदा दस्तावेज के सभी निर्देशों और शर्तों की सावधानी पूर्वक जांच करने की अपेक्षा की जाती है ऐसा ना करने पर निविदाकार पूरी तरह से जिम्मेदार होगा।

29. सत्यंकार निधि जब्त करने और निविदा को किसी भी प्रक्रिया पर अस्वीकार या निरस्त करने के संबंध मे अंतिम निर्णय निविदाकर्ता का होगा और किसी भी परिस्थिति मे उस पर सवाल नही उठाया जाएगा।

30. निविदा मूल्य में लोडिंग, परिवहन, अनलोडिंग और स्टैकिंग (यदि आवश्यक हो) मे शामिल लागत शामिल होगी । निविदाकार वन मंडलाधिकारी द्वारा निर्देशित किसी भी स्थान पर सामग्री के परिवहन के लिए उत्तरदायी होगें जो कि वन मंडल की भौगोलिक सीमा तक होगी । निविदा मूल्य मे जीएसटी, अन्य सभी कर और शुल्क शामिल होगें और यह भारतीय रूपये मे होगा।

31. जहाँ भी लागू हो, सामग्री में शून्यता (Voids) कटौती की जाएगी ।

32. यदि निविदा की बैद्यता अवधि के भीतर यह पाया जाता है कि निविदाकार द्वारा प्रस्तुत/अपलोड किए गये दस्तावेजों में से कोई या कुछ झूठे या धोखाधडी वाले है, तो निविदाकार का प्रस्ताव अस्वीकार किया जा सकता है ऐसे मामले मे निविदाकार का समझौता रद्द किया जा सकता है जिसके बाद निविदाकार की सत्यंकार की राशि (ई एम डी) और **निष्पादन प्रतिभूति (Performance Guarantee)** जप्त की जा सकती है।

33. इस निविदा सूचना में जिन प्रावधानों का उल्लेख नहीं किया गया है,उनके संबंध मे निर्णय लेने का अधिकार वन मंडल अधिकारी दक्षिण सागर वनमंडल के पास होगा।

34. निविदाकार को अपनी व्यक्गित/फर्म की समस्त जानकारी निर्धारित प्रपत्र A1 एवं अनुलग्नक 2 में दर्ज कर अपलोड करना अनिवार्य होगी ।

35. सामग्री की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रदाय आदेश स्वीकृत निविदाकर्ता के व्हाटसएप/ई-मेल पर प्रेषित किये जावेगें, जिन्हें निविदाकार को मान्य करना होगा ।

36. निविदाकार को अपनी निविदा तैयार करने और प्रस्तुत करने से जुडे सभी खर्चे वहन करना होगा, और इसके लिए सरकार पर कोई भी दावा नही किया जाएगा।

37. निविदाकार को सलाह दी जाती है कि वह कार्य/आपूर्ति स्थल और उसके आस-पास का दौरा करें और निरीक्षण करें तथा निविदा तैयार करने और अनुबंध मे प्रवेश करने के लिए आवश्यक सभी जानकारी अपनी जिम्मेदारी पर प्राप्त करें इस संबंध मे सभी खर्चे निविदाकार को वहन करना होगा।

38. ***निविदाकार को खण्ड 1 में दर्शित समस्त सामग्री के सेम्पल दिनांक 10.09.2025 तक (सेम्पल में अमिट स्याही से फर्म का नाम एवं पता उल्लेख होना अनिवार्य है) वनमंडल कार्यालय में प्रेषित करना अनिवार्य है, सेम्पल जमा करने की पावती अभिस्वीकृति निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगी, सेम्पल का मूल्य पृथक से देय नहीं होगा एवं न ही सेम्पल वापिसी योग्य होगा । सेम्पल प्राप्त न होने की स्थिति में निविदाकार को तकनीकी निविदा में अमान्य कर दिया जावेगा ।***

39. ***खण्ड 1 में दर्शित सामग्री के सेम्पल केवल कार्यालयीन दिवस एवं समय (प्रातः 10 बजे से सांय 06 बजे तक) पर ही लिये जा सकेगें । शासकीय अवकाश के दिवसों में सेम्पल लिया जाना संभव नहीं होगा ।***

40. निविदाकार की वित्तीय निविदा खुलने के उपरांत निविदाकार द्वारा दर्शायी गयी दरों का वनमंडल स्तरीय निविदा समिति द्वारा बाजार दर से मूल्यांकन किया जावेगा, यदि प्रस्तुत दरें बाजार दर से बहुत ज्यादा अधिक अथवा बहुत ज्यादा न्यूनतम होने की स्थिति में वनमंडल स्तरीय निविदा समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रेषित करने के उपरांत, निविदाकार को वित्तीय निविदा में अमान्य कर दिया जावेगा, इसके लिये निविदाकार द्वारा कोई भी आपत्ति नहीं ली जा सकेगी ।

41. निविदाकार को अनुलग्नक '08 ' में दर्शित संभावित स्थलों का निरीक्षण कर अनुलग्नक 3 प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा तथा स्थल भ्रमण की जियोटैग्ड फोटोग्राफ्स भी अपलोड करना अनिवार्य होगा ।

42. निविदाकार को BOQ फाईल में प्रत्येक सामग्री की रेट डालनी अनिवार्य होगी, ऐसा न होने की स्थिति में निविदा अमान्य कर दी जावेगी ।

43. उपरोक्तानुसार शर्त क्रमांक 01 से 42 तक की किसी भी शर्त का उल्लघंन करने पर **निष्पादन प्रतिभूति (Performance Guarantee)** की राशि राजसात की जावेगी तथा संबंधित फर्म को दो वर्ष के लिये कालीसूची में दर्ज किया जावेगा ।

वनमंडल अधिकारी,
दक्षिण सागर वनमंडल

खण्ड – V
निष्पादन सुरक्षा राशि

क्रं.	सामग्री का विवरण	निष्पादन सुरक्षा राशि
1	सागौन/यूकेलिप्टस/नीलगिरी पोल्स (2 मीटर लंबे पूर्ण रूप से सूखे, लकडी के खंबे जिस पर वाटर रेसिसटेन्ट पेन्ट किया हुआ) (पोल्स साईज - मध्यम भाग 31 से 40 सेमी गोलाई एवं उपर के सिरे पर नुकीला होना चाहिये) इसके साथ ही निम्नानुसार विशेषतायें आवश्यक हैं – **4-** पोल्स के मध्यम भाग की मोटाई 31 से 40 सेमी होनी आवश्यक है । **5-** पोल्स की ऊंचाई 2 मीटर होना आवश्यक है । **6-** पोल्स के निचले भाग से प्रारंभ करके क्रमशः 55 cm, 80 cm, 110 cm, 140 cm एवं 170 cm के अंतर पर आयरन हुक लगा होना आवश्यक है । पोल्स के ऊपर भाग में 30 सेमी एवं निचले भाग में 60 सेमी में डामर पेन्ट आवश्यक है ।	₹ 1,00,000/-
2	**Angle Iron Poles - Size 2.00 Mtr Length (Straight type: 50x50x5 mm, with an approximate weight of 3.5 kg per meter) -** पोल्स के निचला भाग फटा हुआ होना चाहिये एवं पोल्स के निचले भाग से प्रारंभ करके क्रमशः 55 cm, 80 cm, 110 cm, 140 cm एवं 170 cm के अंतर पर छिद्र होना आवश्यक है ।	₹ 1,00,000/-

वनमंडल अधिकारी,
दक्षिण सागर वनमंडल

// प्रपत्र A-1 //

प्रति,

वनमंडल अधिकारी,
दक्षिण सागर (सामान्य) वनमंडल, सागर

विषय :- ***सामग्री क्रय हेतु निविदा वर्ष 2025-26***

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि हमारी संस्था की जानकारी निम्नानुसार है -

क्रं.	विवरण	
1	फर्म का नाम	
2	पत्र व्यवहार का पता	
3	पत्र व्यवहार के लिये ई-मेल आई डी	
4	फर्म के प्रतिनिधि का नाम	
5	पदनाम	
6	मोबाईल नम्बर	
7	पत्र व्यवहार हेतु व्हाट्सएप नम्बर	

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि निविदा के खण्ड 01 से 05 में दर्शित शर्तों के अनुसार उपयोगी ई-निविदा में दर्शित सामग्री क्रय हेतु निविदा वर्ष 2025-26 का कार्य पूर्णतः करने को अपनी सहमति प्रदान करते हैं ।

फर्म के अधिकृत हस्ताक्षर एवं सील

अनुलग्नक 08 (अनुलग्नक -3 अनुसार सामग्री प्रदाय क्षेत्र भ्रमण की संभावित सूची)

क्रं	परिक्षेत्र	कक्ष क्रमांक	बीट का नाम
1	राहतगढ	641	Kalipathar
2	राहतगढ	539	Lachkyai
3	सागर	PF 745	BHILIYA
4	गौरझामर	RF 972	KHODI SIMARIYA
5	गौरझामर	RF 972	KHODI SIMARIYA
6	गौरझामर	PF 993	BAMHORI
7	सागर	RF 741	BHILIYA
8	देवरी	PF 1078	Kheri
9	गौरझामर	PF 956	GOPALPURA
10	ढाना	780	Rangir
11	गढाकोटा	RF 887	Borai
12	ढाना	PF 773	Surkhi
13	सागर	RF 740	Bhiliya
14	सागर	RF 741	Bhiliya
15	गौरझामर	PF 996	Dongarsaliya
16	गौरझामर	RF 991	Bamhori
17	सागर	PF 694	Shobhapur
18	गढ़ाकोटा	RF 842	जरिया खिरिया
19	गढ़ाकोटा	PF 854	खिरियाखुर्द
20	सागर	PF 674	जेरा
21	सागर	PF 750	कुसुमगढ़
22	ढाना	PF 782	रामपुर
23	ढाना	PF 809/805	मिड़वासा
24	केसली	PF 1005	खापा
25	केसली	RF 1043	पठाखुर्द
26	गौरझामर	RF 927	पौंड़ी
27	देवरी	1078	खैरी